कार्यालय अधिष्ठाता
पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Phone No. 0771-2890001, 2525602 2523919

क्रमांक.चिकि / क्रय / 2022 / 13433 रायपुर दिनांक 17/10/22

परिशिष्ट–2

(नियम 4.4.2)

//निविदा आमंत्रण सूचना//

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के विभिन्न विभागों में समय-समय पर वाहन की आवश्यकता होती है इस हेतु वाहन प्रदाय करने हेतु ट्रेवलर्स एर्जेसियों से निविदा आमंत्रित किया जाता है। उक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर रू. 500/- नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि – 16.11.2022 समय 5.00 बजे तक

निविदा जमा करने की तिथि – 17.11.2022 समय 3.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि – 17.11.2022 समय 4.00 बजे तक

विस्तृत निर्देश एवं शर्ते पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर **www.ptjnmcraipur.in** पर देखे जा सकते है।

17/10/22

अधिष्ठाता

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

रायपुर, छ.ग.

//बस एवं चार पहिये वाहनो की आपूर्ति हेतु निविदा//

पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के विभिन्न विभाग में समय–समय पर **बस एवं चार पहिये** वाहनो की आवश्यकता होती है इस हेतु वाहन प्रदाय करने हेतु ट्रेवल्र्स एजेंसियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा एक वर्ष की अवधि के लिए आमंत्रित की जा रही हैं।

अ. बस एवं चार पहिये वाहन हेतु तकनीकी मूल्यांकन न्यूनतम अर्हताः–

1. निविदाकर्ता फर्म के पास न्यूनतम वाहन संख्या(परमिट युक्त) 10 होनी चाहिए, जिसमे से न्यूनतम 3 वाहन निविदाकर्ता, फर्म, कंपनी, संस्था के नाम से पंजीकृत होना चाहिए।(परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)

2. निविदाकर्ता फर्म की एक शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित हो।(कार्यालय के नाम से बैंक पास बुक, बिजली बिल इत्यादि की छायाप्रति संलग्न करें)

3. निविदाकर्ता का जी.एस.टी. पंजीयन होना चाहिए।(यदि संबंधित नियम के दायरे में आते हों)(कर विभाग द्वारा जारी किये गये जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

4. वाहन चालको की वैध वाहन चालक अनुज्ञा होना चाहिए।(अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि संलग्न करें।

5. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल अंतर्गत वाहन परिचालन करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए(संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्यादेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

//परिशिष्ट–''अ''//

A नियम एवं शर्तेः–

1. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि रू. 500/– का बैंक ड्राफ्ट, अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय होगा। जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।

10x22

2. अमानत राशि रू 20,000/–का बैंक ड्राफ्ट, अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय होगा।

3. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और संविदा की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि का ब्याज देय नहीं होगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

4. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।

5. वाहन के समस्त कामगाज परिवहन विभाग के नियमानुसार अद्यतन होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा(कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी।

6. वाहन की मरम्मत, रख–रखाव एवं अन्य समस्त खर्चे चयनित संस्था द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने तथा दुर्घटना होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा चयनित संस्था द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में चयनित संस्था द्वारा दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व निविदाकर्ता फर्म की होगी।

7. किराए पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।

8. देयक तीन प्रतियों में लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ तत्काल अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान कोषालय/चेक के माध्यम से आवश्यक परीक्षण उपरांत किया जावेगा। निविदाकर्ता फर्म अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा किया जावेगा।

10. न्यूनतम निर्धारित दरों पर प्रथम निविदा प्रतिभागी द्वारा समय पर वाहन एवं सुविधा नहीं प्रदाय किये जाने की स्थिति में द्वितीय निविदा प्रतिभागी से समझौता वार्ता उपरांत समस्त सेवा लिये जाने का अधिकार कार्यालय का होगा।

10/X/22

11. समस्त प्रदायित वाहनों का पंजीयन केवल टैक्सी परमिट(Commercial Taxi) युक्त का उपयोग कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

12. कार्यालय द्वारा मांग की गई वाहन का टैक्सी परमिट(Commercial Taxi) पंजीयन मान्य होगा। प्राइवेट पंजीयन की दशा में समस्त प्रकार के कानूनी दायित्वों का निर्वहन निविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा।

13. चयन प्रक्रिया L1(Lowest One) आधार पर की जावेगी। दो फर्मों की वित्तीय निविदा दर समान रहने पर उक्त फर्मों से पुनः नवीन वित्तीय निविदा आमंत्रित की जावेगी तथा यह नवीन दर(पूर्णांक में होनी चाहिए) पुरानी प्रदाय दर से निम्न होनी आवश्यक है।

14. सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि रोककर अन्य निविदाकर्ताओं को उनकी सुरक्षा निधि बिना ब्याज के साथ वापस कर दी जावेगी।

15. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी एवं EMD राशि जप्त कर ली जावेगी।

16. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र रायपुर, छ.ग. होगा।

17. वाहन का परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

18. नवीन वाहन अथवा 10 वर्ष तक के पुराने वाहन की मान्य किये जायेंगे।

19. वाहन चालक का लाइसेंस एवं अन्य अनिवार्य योग्यता संलग्न किया जाना होगा।

20. वाहन चालक द्वारा तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि अन्य मादक पदार्थ के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।

21. तकनीकी प्रस्ताव को अलग लिफाफे में तथा वित्तीय प्रस्ताव को अलग लिफाफे तथा दोनो प्रस्ताव को एक सीलबंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायुपर के नाम से जमा किया जावें।

22. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।

23. कार्य संतुष्टि की दशा में आपसी सहमति आधार पर आगामी वर्षों के लिए सेवा बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध नवीनीकरण की दशा में EMD राशि को आगामी वर्षो हेतु मान्य किया जावेगा।

24. परिशिष्ट "ब" के प्रारूप–1 सरल कमांक 1 से 8 में एवं प्रारूप–2 सरल कमांक 01 से 04 में वाहनों की सेवायें प्राप्त करने हेतु निम्न दर वाली फर्म से सेवायें लेने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित है।

25. सफल निविदाकर्ता को प्रदाय आदेश मिलने के 15 दिवस के अन्दर सहमति के साथ निर्धारित प्रारूप में वाहन चलाने नामा(अनुबंध पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी के द्वारा सत्यापित कराकर)देना होगा।

26. निविदा शर्तों में परिवर्तन एवं निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पास सुरक्षित है।

B-स्कूल बस परमिट के लिए शर्त–धारा 74 की उपधारा 92 के प्रावधान के अधीन, प्रत्येक बस परमितट के साथ निम्नलिखित शर्तें का पालन/संलग्न किया जाना आवश्यक है–

1. प्रत्येक बस को पीले रंग में रंगा जाएगा और छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 144 के उप–नियम(5) के तहत् वाहन के आगे, और पीछे "कॉलेज बस" लिखा जाएगा। नाम, पता और टेलीफोन/स्कूल बस के दोनो तरफ 9 इंच चौड़ी पट्टी पर स्कूल का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए।

2. बसों में खिड़कियों पर एक क्षेतिज ग्रिल लगी होना चाहिए।

3. प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा किट और अग्निशामक यंत्र लगा होना चाहिए।

4. प्रत्येक बल में प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित एक परिचारक होगा। छात्रों की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में जो छात्रों को बोर्डिंग और डी–बोर्डिंग में सहायता करेंगे।

5. बसों एवं चार पहिये वाहनो का संचालन ऐसे चालकों द्वारा किया जाएगा, जिनके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हो और भारी वाहन चलाने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। ऐसे ड्राइवरों को नियोजित नहीं किया जाएगा, जिनका एक वर्ष में दो से अधिक बार चालान किया गया है, जैकि लेन प्रणाली का उल्लंघन करने, सिग्नल लाईट का उल्लंघन करने या किसी अधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए। जिस चालक का एक बार भी तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और खतरनाक वाहन चलाने के अपराध में चालान किंया गया हो, उसे नियोजित नहीं किया जाएगा। इस आशाय का एक शंपथ पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा वाहन के चालक से प्राप्त किया जाएगा।

6. छात्रों के अलावा, स्कूल बस को केवल छात्रों के अभिभावकों या शिक्षा संस्थान के शिक्षक को ले जाने की अनुमति है जो सुरक्षा मापदंडो की जांच के लिए यात्रा कर सकते हैं। ऐसी बसों में किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

7. प्रत्येक बस में सीट के नीचे बैग रखने की जगह होगी।

8. बसे निर्धारित गति के भीतर ही संचालित होंगी। ऐसे प्रत्येक में स्पीड गर्वनर लगे होंगे।

9. प्रत्येक बसों में दायी ओर आपातकालीन द्वार होगा जो ठीक से बंद होगा और केवल आपात स्थिति में ही खोला जाएगा।

10. बसों के दरवाजो विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से सुसज्जित होना चाहिए।

11. बसों की खिड़कियों पर शीशे और पर्दो पर रंगीन फिल्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 100 के अनुसार सुरक्षा चश्मा का उपयोग किया जायेगा।

12. बसों में कोई प्रेशर हार्न नहीं लगाया जाएगा, रात में संचालन के दौरान स्कूल बसों के अंदर नीले रंग का बल्ब लगा होना चाहिए।

10/2/22

13. बसों में नियमित रूप से साफ–सफाई होना चाहिए।

14. अनुबंधित वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनिय, 1988(1988 की संख्या 59) की धारा 56 के तहत वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

15. प्रत्येक बस के पास वैध बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और करों के भुगतान का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

16. कोई भी बस 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए।

C –**बस एवं चार पहिये** वाहनो की तकनीकी मूल्यांकन हेतु Check List

तकनीकी मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अर्हताः–

न्यूनतम वाहन संख्या(**बस एवं चार पहिये** परमिट युक्त)–4(परिवहन विभाग द्वारा जारी जीवित वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)	
कर्ता फर्म की कार्यालय के रायपुर शाखा नाम से बैंक पास बुक, बिजली बिल इत्यादि याप्रति संलग्न	
निविदाकर्ता का कर विभाग द्वारा जारी किये गए जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न	
परिवहन विभाग द्वारा जारी फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न	
शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मंडल अंतर्गत वाहन परिचालन करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव कार्यादेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न	
रू. 100/– के स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र संलग्न	
EMD के रूप में रू. 20000/–का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न	

परिशिष्ट–''ब''

बस का किराया दर निर्धारण(वित्तीय निविदा प्रपत्र)(प्रारूप–1)

क्र.	बस का विवरण	किराया आधा दिन 6 घंटे या 50 कि. मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि.मी. या 12 घंटे	किराया मासिक 3000 कि. मी. 24 घंटे 7 दिन (सभी करो सहित)	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	अतिरिक्त किराया प्रति घंटा	किराया रात्रि ठहरने का
1	15 सिटर ए.सी बस						
2	16 से 25 सिटर ए.सी. बस						
3	26 से 34 सिटर ए.सी. बस						
4	26 से 34 सिटर नॉन ए.सी. बस						
5	35 से 50 सिटर ए.सी.बस						
6	35 से 50 सिटर नॉन ए.सी.बस						
7	51 व 51 सिटर से अधिक ए.सी बस						
8	51 व 51 सिटर से अधिक नॉन ए. सी बस						

चार पहिये वाहन का किराया दर निर्धारण (वित्तीय निविदा प्रपत्र) (प्रारूप–2)

क्र.	चार पहिये वाहन का विवरण	किराया आधा दिन 6 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रतिदिन 100 कि. मी. या 12 घंटे	किराया मासिक 3000 कि.मी. 24 घंटे 7 दिन (सभी करो सहित)	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि.मी.	अतिरिक्त किराया प्रति घंटा	किराया रात्रि ठहरने का
1	यति, सोनाटा, जेटा, कोरोला, स्कोडा, आर्या, सिविक, कुज एवं समतुल्य वाहन						
2	वर्ना, जाईलो, स्कार्पियो, इनोवा, सफारी, होंडासिटी, ओप्ट्रा, टवेरा, ब्रिज्जा, केटा, हौंड, BRV, XUV-500 हेक्सा, डस्टर एवं समतुल्य वाहन						
3	फेबिया, माइका, आई–20, एसेंट, स्विफ्ट एवं डिजायर, रिट्ज, जिप्सी, पोलो, वेंटो, वेरिटो, बोलेरो, लीवा, पुंटो, लीना, इंडिगो, मांजा, इंडिगो सीएस, एम्बेसडर, जाज्र, टाटा सूमो, एविओ, बीट, जेस्ट एवं समतुल्य वाहन						
4	सेन्ट्रो, आई–10, आल्टो, बैगनआर, टिआगो, इंडिका विस्टा, स्पार्क एवं समतुल्य वाहन						

- सभी करों सहित(टोल सहित) बस किराए में शामिल किया जाना चाहिए।
- कुल अनुमानित बजट 15 लाख।
- यदि ईंधन की कीमतों में अधिक वृद्धि होती है तो मौजूदा दरों का 10% दरो में तद्नुसार संशोधित किया जाएगा।

परिशिष्ट–"स"

घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया हैं।

2. हम यह घोषणा करते है की हमारी संस्था का अविवादित छवि है तथा किसी राज्य/केन्द्र शासन/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किसी भ्रष्टाचार अथवा धोखेबाजी के लए अपात्र घोषित नहीं किया गया हैं।

3. हमारी संस्थान को विगत 2 वर्षों में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची Black Listed में दर्ज नहीं किया गया हैं।

4. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म

नाम..

पता.......................................

मोबाईल नं..........................

(नोट–उपरोक्त घोषणा पत्र में निविदा के समस्त नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि 100/– के स्टाम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा)